Bill No.19 of 2022

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, for the existing expression "physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act,", the expression "market area" shall be substituted.

3. Amendment of section 17-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In sub-section (1) of section 17-A of the principal Act, for the existing expression "physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private

farmer-consumer market yards managed by persons holding licenses or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act,", the expression "market area" shall be substituted.

4. Insertion of new section 17-B, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 17-A and before the existing section 18 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**17-B. Power to collect user charge.-** The market committee shall collect user charge from the licensees in the prescribed manner on non-notified agricultural produce and food products brought or bought or sold by them in the market yards and sub-market yards established under this Act, at such rate as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India enacted the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 apart from other two farm laws in the Year 2020. Being enacted by the Central Government, it had an overriding effect on the State Law i.e. the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961. Accordingly, certain provisions in the State Act of 1961 which were in conflict with the above Central Act of 2020 were amended. Consequently market fees and Kisan Kalyan Fees to be collected by Market Committee reduced sizeably as collection of these fees was confined to physical boundaries of the market yards.

To operate and maintain market yards, execute development and infrastructure works and welfare scheme therein, a large fund is required. Since the Central Government has repealed the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, the State Government has decided to return to the status that existed before the commencement of the above Central Act of 2020 so that funds of the market committee can be increased. Accordingly, section 17 and 17-A is proposed to be amended suitably.

Further, in recent times traders have started carrying on business transactions of non-notified agricultural produce in the market yards. To provide better facilities to traders for doing business of non-notified agricultural produce and food products inside the market yards, a provision of user charge on such transactions of non-notified produce was declared in the budget speech. Accordingly, a new section 17-B is proposed to be inserted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

मुरारी लाल मीणा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS ACT, 1961 (Act No. 38 of 1961)

XX XX XX XX XX

17. Power to collect market fees.- The market committee shall collect market fees from the Licences in the prescribed manner on agricultural produce brought or bought or sold by them in the physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this, at such rate as may be specified by the State Government, by notification in the official gazette, subject to a maximum of Rs 2/- per hundred rupees worth of agricultural produce.

Provided that no Mandi Fee shall be leviable on fruits and vegetables. Instead, the market committee may collect user charges in respect of these articles, for the services provided by the market committee, from the buyer of the produce at such rate as may be specified in the bye-laws.

17-A. Power to collect Krishak Kalyan Fee.- (1) The market committee shall collect Krishak Kalyan fee from the licensees in the prescribed manner, on agricultural produce brought or bought or sold by them in the physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this

Act, at such rate as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazatte.

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

2022 का विधेयक सं.19

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17-क की उप-धारा (1) में,

विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 में नयी धारा 17-ख का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 17-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 18 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"17-ख. उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करने की शक्ति.- मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन, गठित मण्डी यार्ड और उप-मण्डी यार्ड में उनके द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों पर ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, विहित रीति से उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने वर्ष 2020 में, दो अन्य कृषि अधिनियमों के अलावा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया था। केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित होने के कारण, यह राज्य विधि अर्थात् राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 पर अध्यारोही प्रभाव रखता था। तदनुसार, 1961 के राज्य अधिनियम में कतिपय उपबंध जो कि उपर्युक्त 2020 के केन्द्रीय अधिनियम से विरोधी थे, संशोधित किये गये थे। परिणामस्वरूप, मण्डी समितियों द्वारा संगृहीत की जाने वाली, मण्डी फीस और किसान कल्याण फीस में काफी कमी आ गयी क्योंकि इन फीसों का संग्रहण मण्डी यार्ड की भौतिक सीमाओं तक परिरूद्ध हो गया था।

मण्डी यार्डों का संचालन और रखरखाव करने, उनमें विकास और अवसंरचना संकर्मों और कल्याण स्कीमों को निष्पादित करने के लिए, एक वृहद् निधि अपेक्षित है। चूंकि केन्द्र सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को निरसित कर दिया है, राज्य सरकार ने उपर्युक्त 2020 के केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व में विद्यमान प्रास्थिति को वापस लाने का विनिश्चय किया है ताकि मण्डी समिति की निधियों में वृद्धि हो सके। तदनुसार, धारा 17 और 17-क को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह कि, वर्तमान समय में व्यापारियों ने मण्डी यार्डों में गैर-अधिसूचित कृषि उपज के कारबार का संव्यवहार किया जाना आरंभ कर दिया है। मण्डी यार्ड के भीतर गैर-अधिसूचित कृषि उपजों तथा खाद्य उत्पादों का कारबार करने के लिए व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, बजट भाषण में गैर-अधिसूचित उपज के ऐसे संव्यवहारों पर उपयोक्ता प्रभार के लिए उपबंध करने की घोषणा की गयी

थी। तदनुसार, एक नयी धारा 17-ख अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

मुरारी लाल मीणा,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

17. मण्डी फीस संगृहीत करने की शक्ति.- मण्डी समिति अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से मण्डी फीस, विहित रीति से संगृहीत करेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और जो प्रति एक सौ रुपये की कृषि उपज पर अधिकतम 2/- रुपये के अध्यधीन होगी:

परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्गृहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के संबंध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगी।

17-क. कृषक कल्याण फीस संगृहीत करने की शक्ति.- (1) मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी

उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, विहित रीति से कृषक कल्याण फीस संगृहीत करेगी।

(2) संगृहीत की गयी फीस धारा 19-क के अधीन गठित कृषक कल्याण कोष में जमा की जायेगी।

XX XX XX XX XX

Bill No.19 of 2022

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Murari Lal Meena, **Minister-Incharge**)

2022 का विधेयक सं.19

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

(मुरारी लाल मीणा, **प्रभारी मंत्री)**